न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 114/18</u> **निर्णय दिनांकः 13.05.2019**

1. बाईसाकंवर पत्नी भोजराज सिंह
2. स्वरूप सिंह पुत्र भोजराज सिंह
3. सवाई सिंह पुत्र भोजराज सिंह
4. गणपत सिंह पुत्र भोजराज सिंह
   जाति राजपुत निवासीगण सादोलाई तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—11—2016
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री पदमसिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 22—11—2016 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को दिनांक 22—05—2003 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन का पात्र धोषित किया गया तथा दिनांक 24—05—2003 को सलाहकार समिति

की राय से चक 38 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 40/52 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि पर अपीलांट को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि थी। लिहाजा अपीलांट समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटन की मांग उक्त अपील के माध्यम से की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पति को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 38 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 40/52 के किला नम्बर 1 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि पूर्व में ही देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन पूगल को आवंटित होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—05—2003 के विरूद्व अपील दिनांक 19—04—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—03—2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 20—11—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। प्रकरण में अपीलांट ग्रामीण पृष्ठ भूमि व अन्य तहसील का निवासी होने के कारण आवंटन अधिकारी स्तर से किये गये निर्णय की जानकारी का समुचित तन्त्र विकसित नहीं होने के कारण आवेदक/अपीलांट को निर्णय की जानकारी देरी से होने का समुचित कारण है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22—05—2003 को अपीलांट को आवंटन का पात्र धोषित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 24—05—2003 को चक 38 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 40/52 की 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया, परन्तु उक्त आदेश के पश्चात् किश्तो का शड्यूल जारी करना, कब्जा देने,

आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल करना आदि आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान जमाबन्दी में आवेदक को आवंटित मुरब्बा नम्बर 40/52 देवीलाल पुत्र बीरबलराम को खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। सभंव है कि पूर्व आवंटी ने राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के उपरान्त विक्रय कर दिया हो या आवंटन आदेश का अमल दरामद नहीं होने के कारण आराजीराज भूमि का दोहरा आवंटन कर दिया हो।

आवंटन का रिकार्ड अपडेट रखने का दायित्व उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों का है, परन्तु विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता का नतीजा आवंटी भुगत रहे है। अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपीलांट/आवंटी को कोई लाभ नहीं मिला है तो ऐसे आवंटन आदेश का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। परन्तु सक्षम अधिकारी ने न तो उक्त आदेश को निरस्त किया, न पात्रता के आधार पर आवेदक को अन्यत्र भूमि आवंटित की। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अनिश्चित अवधि तक प्रभावी रखने का औचित्य नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवेदक द्वारा अन्यत्र स्थान पर भूमि आवंटित नहीं करवाने की तथा आज दिनांक तक पात्रता कायम रहने के तथ्यों की जॉच की जाकर पात्र पाये जाने पर आवंटन नियम 1975 के नियम 7 में निर्धारित प्राथमिकताओं में शामिल करें तथा नियम 10 व 11 के तहत नये सिरे से आवेदन प्राप्त करते हुए प्राथमिकता सूची में शामिल करें तथा प्रारूप IV में संधारित रजिस्टर में दर्ज करें व आवंटन नियम 13 में उल्लेखित प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन पत्र का विधि सम्मत निस्तारण करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर